cement in cases where the units reported that their silos were full. The Railways have also been requested in such cases to provide wagons on priorty basis to the extent possible.

(d) No, Sir.

(e) Any general permission to the cement production units to sell cement to persons or dealers of their choice may lead to malpractices and will not be in accordance with the policy of the Government for controls on price and distribution of cement.

**सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र तथा लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों की तुलनात्मक विकास दर**

6670. **श्री राम सागर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 से 1978–79 तक वित्तीय तथा कलैण्डर वर्षों में कुल औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर क्या है;

(ख) उक्त वर्षों में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दरें क्या हैं;

(ग) व्यापार तथा विकास महानिदेशक के अन्तर्गत आने वाले कारखानों और लघु क्षेत्र के कारखानों में उक्त अवधि में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर क्या थी; और

(घ) लघु क्षेत्र के उद्योगों के बारे में आंकड़ों के आधार क्या है और उसमें कितनी छूट दी गई ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) और (ख). औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के माप (1970-100) के अनुसार वित्तीय वर्ष 1976–77, 1977–78, तथा 1978–79 के (अप्रैल से दिसम्बर) की विकास दर क्रमशः 9.5 प्रतिशत, 3.9 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत थी तथा कैलेन्डर (पंचांग) वर्ष 1976, 1977 तथा 1978 की विकास दर क्रमशः 9.8 प्रतिशत 5.2 प्रतिशत तथा 6.8 प्रतिशत थी। सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के विकास दर विषयक तुलनात्मक सूचकांक अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ). तकनीकी विकास के महानिदेशालय की संवीक्षा के अन्तर्गत आने वाले एककों के बारे में लगाये गये अनुमानों के अनुसार उत्पादन की विकास दर 1976–77 में 11.5 प्रतिशत, 1977–78 में 6 प्रतिशत तथा 1978–79 में 10 प्रतिशत बतायी गई है। तकनीकी विकास का महानिदेशालय (डी०जी०टी०डी०) क्षेत्र के लिये तीन कलेन्डर वर्षों के आंकड़े क्रमशः 12 प्रतिशत, 8.5 प्रतिशत तथा 8.6 प्रतिशत है। लघु क्षेत्र के सम्बंध में विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय पंजीयित एककों के दो प्रतिशत के लघु नमूने के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाता रहा है। इस नमूने के आधार पर लगाया गया अनुमान 1977–78 तथा 1978–79 में लगभग 16 प्रतिशत की विकास दर बताता है। इन आंकड़ों को और भी ठीक कर के तथा लघु क्षेत्र को समाविष्ट कर उसमें और भी सुधार करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

**उत्पादकता सेवाओं के विकास के लिए प्रस्ताव**

6671. **श्री बागुन सुमबरूई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा विचार विमर्श किये गये उत्पादकता सेवाओं के विकास सम्बन्धी नये प्रस्ताव क्या हैं; और

(ख) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् ने अपनी 15 मार्च, 1979 को हुई बैठक में अपनी गतिविधियों को सरकार की आर्थिक एवं औद्योगिक नीति विषयक उद्देश्यों के अनुरूप बनाने का निश्चय किया है। परिषद ने तत्काल ही कार्यवाही करने के लिये निम्नलिखित क्षेत्रों का पता लगाया है :—

(1) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, लघु उद्योगों के विकास आयुक्त तथा अन्यों के सहयोग से साबुन तथा दियासलाई उद्योगों का विकास करना।

(2) विद्यमान एककों में लघु क्षेत्र उत्पादकता सुधार का विकास तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के सहयोग से आरक्षित वस्तुओं के लिये लघु एककों का विकास संवर्धन करना।

(3) सरकारी क्षेत्र के संगठनों में जहां उत्पादकता कम है अथवा रुग्ण समझी जाती है, उत्पादकता में सुधार तत्काल ही अध्ययन के लिये पता लगाये गये कुछ एककों/क्षेत्रों में राज्य विद्युत मंडल, राष्ट्रीय वस्त्र निगम के रुग्ण एकक तथा इंजीनियरी उद्योग बंबई बंदरगाह, तथा मुगलसराय के रेलवे यार्ड आदि हैं।

(4) मजदूर संघो की रुचि जाग्रत करने हेतु उपयुक्त योजनाओ का संवर्धन करना ताकि वे उत्पादिता को अपने आंदोलन का एक अविभाज्य अंग बना लें ।

राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद साबुन तथा डिटरजेंट उद्योगो का कुटीर/लघु क्षेत्र में विकास करने हेतु विस्तार से प्रस्ताव बना चुकी है । अन्य क्षेत्रों के बारे मे परिषद प्रस्ताव बना रही है ।

**आदिवासियों की भूमि को वापिस लौटाने के लिये संथाल परगना में आन्दोलन**

6672. **श्री बटेश्वर हेमराम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के परगना संथाल परगना जिले में आदिवासियो की भूमि को, जिसे अन्य व्यक्तियो के नाम कर दिया गया है और वह उनके कब्जे में चली गई है, उन्हें वापिस दिलाने के लिये कई महीनो से आन्दोलन चला रही है और इस संबंध में हत्यायें और आगजनी की घटनायें हो रही हैं ,

(ख) क्या 2 दिसम्बर, से 8 दिसम्बर तक संथाल परगना के मुख्यालय दुमका की आन्दोलनकारियों ने नाकाबन्दी की थी और राष्ट्रीय ध्वज को भी मुख्यालय से उतारने का प्रयास किया था , और

(ग) क्या इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप अमलीबाजार थाना सुन्दरपहाड़ी में तीन व्यक्तियोंयें की हत्यायें हुई और ग्राम पकुड़िया, थाना पथर गामा, में हत्याएँ और आगजनी की घटनायें हुई और ग्राम मकरमपुर, थाना मसलियां, जिला संथाल में हत्यायें हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना बिहार सरकार से मांगी गई है और जब प्राप्त होगी सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

**Inquiry against Director Electronics Testing and Development Centre**

6673. SHRI BHAGAT RAM Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 8259 on 26th April, 1978 regarding inquiry against Director, Electronics Testing and Development Centre and state:

(a) whether the Enquiry Officer has submitted his report;

(b) what are the findings of the Enquiry Officer and what action has been taken on the report;

(c) whether it is a fact that a committee has further been constituted to look into the same charges; and

(d) what is the justification for such a committee and why no action has so far been taken against the guilty officer in accordance with the findings of the enquiry officer?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) to (d). An enquiry was conducted into the allegations levelled against the Director of Electronics and Development Centre, Chandigarh:—

1. The Enquiry Officer in his report held as proved the following charges.—

(i) Misuse of Oxygen Gas Cylinder belonging to Electronics Testing and Development Corporation to benefit the industry owned by his wife.

(ii) Tampering with quotation of M/s Decent Furnitures in order to give him pecuniary benefits and drawing commission on account of this favour.

(iii) Claiming false T.A.

(iv) Changing of Joining Report of one Workshop Mechanic from afternoon to forenoon.

(v) Payment of daily wages to one Sweeper-cum-Chowkidar for the period when he was on leave.

(vi) Compelling a Glass Blower, A Class III employee to perform the duties of Sweeper-cum-Chowkidar

(vii) Termination of the services of a number of employees within a span of two years on account of their refusal to carry out his orders to do his private work.